सं. 11013/3/2014-स्था.(क)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक 25 अगस्त, 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय : लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 - लोक सेवकों द्वारा प्रत्येक वर्ष अपनी परिसंपत्तियों एवं देनदारियों की घोषणा का प्रस्तुतीकरण।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 23.07.2014 के समसंख्यक परिपत्र का संदर्भ देने का निदेश हुआ है जिसमें सभी मंत्रालयों/विभागों से लोक सेवकों (परिसम्पतियों एवं देनदारियों की सूचना और वार्षिक विवरणी तथा विवरणी भरने में परिसंपतियों की छूट की सीमाओं का प्रस्तुतीकरण) नियमावली, 2014 के प्रावधान अनुपालन हेतु सभी संबंधितों के संज्ञान में लाने का अनुरोध किया गया था। पुन: यह अनुरोध किया जाता है कि इस संबंध में आवश्यक निदेश तत्काल जारी किए जाएं ताकि उक्त नियमावली में निर्धारित किए गए अनुसार प्रत्येक लोक सेवक से घोषणाएं/सूचना/विवरणियां 15 सितंबर, 2014 तक प्राप्त की जा सकें। यह दोहराया जाता है कि लोक सेवक की परिभाषा में सभी समूह क, ख और ग कर्मचारी शामिल हैं।

2. इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे लोक सेवक जो वार्षिक विवरणी नहीं भर पाए या लागू नियमावली के अनुसार जिनके लिए यह भरना अपेक्षित नहीं है, [उदाहरण सीसीएस (आचरण) नियमावली, 1964 के अधीन आने वाले समूह 'ग' सरकारी सेवक] को भी समय के भीतर निर्धारित घोषणा/सूचना/विवरणी भरना अपेक्षित है।

ज.अ. वैद्यनाथन

(ज.अ. वैद्यनाथन)

निदेशक (ई)

टेलीफैक्स : 23093179

सेवा में

सचिव

सभी मंत्रालय/विभाग

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली।
2. लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/संसदीय कार्य मंत्रालय।
3. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
4. राष्ट्रपति सचिवालय/उप-राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय।
5. भारतीय निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
6. मुख्य सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
7. सभी मंत्रालयों/विभागों के मुख्य सतर्कता अधिकारी।
8. कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली।
9. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली।
10. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय।
11. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी अधिकारी एवं अनुभाग।
12. एनआईसी (डीओपीटी) को इस कार्यालय ज्ञापन को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।